



'हमें मजबूरन जे.पी.सी. छोड़नी पड़ सकती है'

वक्फ बिल का परीक्षण कर रही जे.पी.सी. के विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी

CMYK

CMYK

-डॉ. सतीश मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 4 नवम्बर। वक्फ (संसोधन) विधेयक की संवीक्षा (स्टूटिनी) कर रही संसदीय समिति में एक प्रकार विपक्षी संसदीय समिति में जा रही है कि विधेयक की संकट के लिए विधेयक बताती जा रही है और विपक्षी संसदीय समिति में एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर स्वतंत्र संसदीय समिति में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद भी दीपावली पर पटाखों से होने वाला प्रदूषण सर्वाधिक था। कोर्ट ने कहा कि 2022 व 2023 की तुलना में इस वार

- विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि, जे.पी.सी. प्रमुख, भजपा सांसद जगद्विका पाल एकतरफा फैसले कर रहे हैं। विपक्षी सदस्य मंगलवार को स्पीकर ओम बिड़ला से मिलकर उन्हें शिकायती पत्र सौंपेंगे।
- विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि बैठक की कार्यवाही की तारीख तय करने और गवाहों को बुलाने में जे.पी.सी. प्रमुख मनमानी कर रहे हैं तथा अक्सर एक के बाद एक लगातार तीन दिन तक कमेटी की मीटिंग बुला लेते हैं।
- विपक्ष का आरोप है कि पाल की कोशिश है कि वक्फ बिल, सरकार जैसा चाहती है, उसी रूप में जे.पी.सी. से स्वीकृत हो जाए, इसलिए विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है।
- ज्ञातव्य है कि, कभी यूपी में कांग्रेस के कदाचर नेता रह चुके जागद्विका पाल 2014 में भाजपा में आए थे तब से वे हर बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, पर अभी तक भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है।

कमेटी से अलग होने के लिए बाध्य किया है। इन सांसदों ने इस विपक्ष के सुन्नों ने कहा कि विपक्षी पत्र को पहले आपस में संरक्षित रूप से अलग होने के लिए बाध्य किया है। इन सांसदों ने बिड़ला को एक पत्र लिखा है कि उन्हें इस

कमेटी की कार्यवाही के दौरान उनके काम में बाधा डाली जा रही है, विपक्षी सांसदों ने बिड़ला को एक पत्र लिखा है कि उन्हें इस

मिलकर, उनके सम्मुख अपनी शिकायतें रख सकते हैं।

विपक्षी सदस्यों, जिनमें अन्य संसदीयों के अलावा, द्रुमुक के ए.राजा, कांग्रेस के मुहम्मद जावेद तथा इमरान मसूद, ए.आई.एम. के असरुद्दीन और विपक्षी संसदीयों के संजय सिंह तथा एम.सी.सी. के बत्यान बनजी भी शामिल हैं, ने लोकसभा अध्यक्ष को एक संरक्षित पत्र लिखा है।

उन्होंने जगद्विका पाल, जो धीर-गम्भीर भाजपा सांसद है, पर आरोप लगाया है कि वे कमेटी की बैठकों की विधियाँ तय करते हैं। इसके साथ ही इस विषय में भी इकतरफा नियम लिये हैं कि साक्षी के रूप में किंवदं बुलाया जाना है।

उन्होंने कहा कि सांसदों के लिए यह व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है कि वे तारीखों के बिना चाहती हों।

इस बात पर जो देते हुए, कि इस विपक्ष का परीक्षण कर रही संसद की संयुक्त समिति 'मिनी संसद' की तरह किए गए बुलाया जाना है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कदाचर नेता रह चुके जागद्विका पाल 2014 में भाजपा में आए थे तब से वे हर बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, पर अभी तक भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है।

कमेटी से अलग होने के लिए बाध्य किया है। इन सांसदों ने इस विपक्ष के सुन्नों ने कहा कि विपक्षी पत्र को पहले आपस में संरक्षित रूप से अलग होने के लिए बाध्य किया है।

कमेटी की कार्यवाही के दौरान उनके काम में बाधा डाली जा रही है, विपक्षी सांसदों ने बिड़ला को एक पत्र लिखा है कि उन्हें इस

पत्र में उन्होंने लिखा है कि उन्हें इस

'पटाखों पर सतत प्रतिबंध क्यों नहीं'

- जाल खंबाता -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो -

नई दिल्ली, 4 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर स्वतंत्र संसदीय समिति लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद भी दीपावली पर पटाखों से होने वाला प्रदूषण सर्वाधिक था। कोर्ट ने कहा कि 2022 व 2023 की तुलना में इस वार

- इस वर्ष दीपावली पर गत दो वर्षों की तुलना में पटाखों से होने वाला प्रदूषण बहुत अधिक होने की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस कमिशनर से जवाब

मिलकर, जाल खंबाता की विधियाँ तय करते हैं।

विधियाँ तय कर

पंजीयन व मुद्रांक, खनन, आबकारी सहित विभागों से राजस्व जुटाने की जानकारी ली



बीकानेर, (कासं)। जिला कलेक्टर नग्नता वृष्णि ने राजस्व अर्जन वाले विभागों को पूर्ण गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सामान वाले को कलेक्टरेट सभागार में राजस्व वसूली से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उहाँने कहा कि राजस्व अर्जन से संबंधित मामलों में किसी तरह की लापता नहीं हो। नियमों की पालना के साथ इस ग्राहक तथा प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

जिला कलेक्टर ने पंजीयन व मुद्रांक, परिवहन, खनन, आबकारी, वाणिज्य कर सहित अन्य विभागों द्वारा राजस्व अर्जन की जानकारी ली। इस दौरान में चल रही वसूली करने की कार्यालय और उन्होंने दिए अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध और 8 बजे बाद खुली शराब की दुकानों पर कार्रवाई जारी रखने को कहा।

बैठक में जिला आबकारी अधिकारी डॉ रशेष जैन, जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग डॉ आईजी स्टाप्प मनोज लेधा, वाणिज्य कर विभाग सहायता विभाग अधिकारी अरोड़ा, उपस्थित रहे। इससे पूर्व कलेक्टरेट सभागार में सावधानिक समीक्षा बैठक हुई। अतिरिक्त जिला

कलेक्टर (नगर) रमेश देव ने समस्त विभागों की जानकारी के बारे कल्याणकारी प्रसारण की प्रगति, लक्ष्यों, आवेदनों की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा पैशंश एवं पालनहार योजना की प्रगति, इ-फाइल के औसत नियन्त्रण एवं पशुधन अधिकारी अरोड़ा के विभाग विभिन्न प्रारूपकार जारी रखाया। उहाँने कहा कि मिशन सुरक्षित स्कूल विभाग ने कलेक्टरेट सभागार में राजस्व वसूली से संबंधित अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया।

